

संशोधित

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या- **FP/UP/ROAD/157254/2022**

7- परियोजना/स्कीम का स्थान	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-731 के हरदोई -लखनऊ मार्ग के किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 है० एवं 1262 वृक्षों के पातन एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 है० कुल 12.1615 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रस्ताव संख्या- एफ पी /यू० पी०/रोड/157254/2022।
(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ० प्र०
(II) जिला	शाहजहाँपुर।
(III) वन प्रभाग	सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर।
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	10.9075 है०
(V) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित मार्ग की पटरियां।
(VI) हरियाली का घनत्व	0.3
(VII) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)	प्रभावित 1262 वृक्षों की प्रजातिवार, व्यास वार सूचना संलग्न है।
(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण से प्रभावित नहीं है।
(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	संरक्षित वन सीमा के अन्दर।
(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)।	नहीं।
(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हाँ।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का	लागू नहीं है।

व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-

(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकर।

(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

(III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12-विभाग/जिला प्रोफाइल

(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(II) जिले का वन क्षेत्र

(III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13-प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

आगरा वन प्रभाग की बाह रेंज के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन ब्लॉक रामपुर चन्द्रसैनी 10 हे०, बिचोला 10 हे० एवं फरैरी वन ब्लॉक 05 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित है।
मानचित्र संलग्न है।

वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। प्रस्ताव में सूची संलग्न है।

रु० 30668500.00 (तीन करोड़ छः लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र)

क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

4575 वर्ग किमी०

6464.50 हे०

स्वीकृत मामलों की सं०-26 क्षे०-121.594 हे०

216.4063 हे०

प्रस्ताव का जनहित में विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:-

स्थान:- शाहजहाँपुर।

(प्रखर गुप्ता)

प्रभागीय वनाधिकारी

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर।